न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रिजवाना बनाम हीरे खॉ

.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2022	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.10.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ख0नं0 459/803 रकबा 0.1200हे0 का 2/81 भाग वाके ग्राम देवता जिसे किता नं0 एक से व आराजी हाल ख0नं0 489 रकबा 0.0800हे0 का 1/18 भाग वाके ग्रम देवता जिसे किता नं0 2 व आराजी ख01नं0 565 रकबा 1.'7500हे0 का 13/69 भाग वाके देवता जिसे किता नं0 तीन से व आराजी ख0नं0 483 रकबा 0.6600हे0 चाही–2, आ0ख0नं0 484 रकाब 1.2800हे0 चाही–2, किता 2 रकबा 1. 9400हे0 का 71/459 भाग वाके ग्राम देवता जिसे किता नं चार से संबोधित किया गया है हर किता चार आराजीयात के 1/8 भाग वाके ग्राम देवता तह0 किशनगढबास जिला अलवर मे प्रार्थी के हक हिस्से तक के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उज्र पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 11.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
11-10-22	वकील प्रार्थी उप0। वास्ते इंतजार तामील दिनांक 6-12-22 को पेश हों।	
12/22	वकील प्रार्थी उप0। वास्ते इंतजार तामील दि० 09/01/23 को पेश हो।	

09-01-23 वकील प्रार्थी उप० | इस्तवार तमील हेतु 11-01-23
को पेश हो | [signature]

11-01-23 पत्रावली पेश हुई | वादी का मूलवाद अदम हाजरी
पैरवी में खारिज हो चुका है | अतः प्रार्थना पत्र
भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है | पत्रावली | प्रार्थना पत्र फैसल शुमार
होकर दाखिल | संलग्न मूलवाद रहे | [signature]